प्र.पी.-231

D-398

09/15

II--157
C.J.

Witness No. 01 for 164 Cipc Statement deposition taken

the 09.04.15 day of Thursday. Witness's apparent age 57 y.

States on affirmation my name is Deendayal Agrawal

son of Omprakash Agrawal occupation Director

address Akaltara Dist Janjgir C.G.

समय–4:00 बजे

1– मेरी अकलतरा में राईस मिल है जहॉ कस्टम मिलिंग का काम होता है जिसके अनुसार शासन द्वारा उपार्जित धान को हमें चावल बनाने हेतु दिया जाता है और चावल बनाने के बाद हमारे द्वारा उसे नागरिक आपूर्ति निगम को दिया जाता है ।

2– जब निगम में हम लोग चावल देते है तो जिले में पदस्थ क्वालिटी इंस्पेक्टर चावल की गुणवत्ता की जॉच करता है और उसके द्वारा स्वीकृति के पश्चात् ही निगम में चावल लिया जाता है ।

3– यदि हमारा चावल निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार नहीं है और गोदाम में जगह नहीं हो तो चावल को राईस मिलर से नहीं लिया जाता है । हम लोग गोदाम में जगह बनाने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक से बात करते है और जिला प्रबंधक मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बात करते है ।

4– जिला प्रबंधक द्वारा प्रत्येक राईस मिलर से एक लॉट पर 2430/– रूपए की मॉग गोदाम में जगह बनाने के नाम पर की जाती है और यदि हम लोग 2430/– रूपए प्रति लॉट के हिसाब से देते रहते है तो गोदाम में जगह बन जाती है अन्यथा दूसरे जिले से चावल बुलवाकर ले लिया जाता है और गोदाम में जगह(स्पेस) खतम कर दी जाती है ।

5– यदि हम लोग प्रति लॉट के हिसाब से 2430/– रूपए के हिसाब से दे देते है तो वे दूसरे जिले के गोदाम में भी परिवहन द्वारा भेज देते है जिले के प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा बताया जाता है कि 2430/– रूपए को मुख्यालय में भेजा जाता है ।

6– मेरी 2 फरवरी, 2015 के पूर्व विकांत माखीजा से बातचीत हुई थी तब उसने मुझें बताया कि पूर्व जिला प्रबंधक पाण्डेय जी ने जांजगीर जिले के राईस मिलर का कलेक्शन मुख्यालय नहीं भेजा है इसलिए एम.डी. साहब नाराज है । इसी कारण धमतरी से रेग द्वारा चावल भेजकर स्पेस को खतम किया जा रहा है जबकि इससे पूर्व जांजगीर जिले में किसी अन्य जिले से चावल नहीं आता था बल्कि जांजगीर जिले से अन्य जिलें में भेजा जाता था ।

(उदय लक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर. (छ.ग.)

(उदय लक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर. (छ.ग.)

P.T.O.

7— जांजगीर जिले के नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदाम में स्पेस कम हो जाने के कारण वहाँ के राईस मिलर्स को आर्थिक क्षति होने लगी और चावल की मिले बंद होने की संभावना होने लगी । कुछ दिनों बाद हम सभी राईस मिलर्स मिलकर माखीजा के पास गये और हमने उससे कहा कि पाण्डेय जी ने कलेक्शन उपर नहीं भेजा तो हम जानकारी नहीं है । यदि वे सहमत हो तो हम 50,000/— रूपए अतिरिक्त दे सकते है ।

8— मुझे माखीजा ने बताया कि मेरी मुख्यालय के मैनेजर भट्ट साहब से बात हो गयी है, मैने उन्हें 50,000/— रूपए पहुँचा देने के लिए कह दिया है आप 50,000/— रूपए पहुँचा दीजिए । मुझे माखीजा ने भट्ट साहब का मोबाईल नंबर दिया और कहा कि आप उन्हें बता दे । मैने भट्ट साहब को अपने मोबाईल नंबर 94255—34725 से 930 तथा आखिरी में 423 था, पर फोन किया, मुझे पूरा नंबर आज याद नहीं आ रहा है ।

9— मैने भट्ट साहब को कहा कि जांजगीर जिले में चावल का भंडारण अच्छे से हो रहा है, यहाँ जगह नहीं बची है इसलिए धमतरी के रेग से चावल जांजगीर जिला न भेजे । मैने उससे कहा कि माखीजा से जो आपकी 50,000/— रूपए की बात हुई है, उसे मैं 1—2 दिन में रायपुर आने वाला हूँ तब आपको दे दूँगा । भट्ट साहब ने मुझे बताया कि हम लोग रेग को डायवर्ट करने में लगे है, पैनल्टी नहीं लगेगी तब मैने उन्हें कहा कि 15,000/— रूपए हम लोगों को नहीं लगेंगे ।

10— भट्ट साहब से बातचीत के बाद मेरा रायपुर आना नहीं हुआ इसलिए मै उन्हें 50,000/— रूपए नहीं दे पाया और धमतरी से चावल का रेग भी अकलतरा नहीं आया ।

नोट :— मैने कथनकर्ता दीनदयाल अग्रवाल पिता—ओमप्रकाश अग्रवाल को यह समझा दिया कि वह कथन के लिए आबद्ध नहीं है साथ ही कथनकर्ता दीनदयाल अग्रवाल से मेरे द्वारा यह भी पूछा गया कि क्या वह कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर, दबाव के कर रहा है अथवा उस पर पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति का दबाव है ? कथनकर्ता ने कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर—दबाव के दिया जाना व्यक्त किया । उसे कथन पढकर सुना दिया गया है । उसने उसका सही होना स्वीकार किया है । उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा एवं सही वृतांत है ।

वाचित / स्वीकृत
(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित
(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर ....

True Copy

04.15

(उदय लक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—FS-59—5/2012—4,00,000.